आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अपील संख्या 525/2025 अनवान रेवतराम व अन्य बनाम गेपरराम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.11.25 25.11.25	वकील अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1, 2, 3, 4 व 9 के अधिवक्ता उपस्थित। उक्त अपील राज. भू राजस्व अधि. की धारा 75 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2013 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2020 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 23.06.2025 को प्रस्तुत की हुई है। वकील अपीलांट ने दिनांक 3.11.25 को अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए यह आग्रह किया कि दौराने अपील तहसीलदार तिंवरी द्वारा दिनांक 10.11.25 को वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी हेतु पुलिस जाब्ता की मांग की गई है, अतः स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किए जाने का आदेश फरमावे। रेस्पो0सं0 1, 2 व 4 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.11.25 को प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत कर उक्त अपील मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के दृष्टिगत तथा आदेश 41 नियम 3ए सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के तहत मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र को निर्णित कराने का आग्रह किया गया। दौरान बहस रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा मौका फर्द दिनांक 17.11.25 की छाया प्रति प्रस्तुत कर आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में वादगस्त खसरान की पत्थरगढी हो चुकी है। पत्रावली में नियत दिनांक 18.11.25 को उभय पक्ष की धारा 05 के प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे	

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि प्रकरण में पूर्व पारित आदेशिका दिनांक 01.07.25 के अनुसार वकील अपीलांट की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पूर्व में सुनवाई के उपरांत आलौच्य प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2020 राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 06/2013 में ही बाद सुनवाई पारित किया हुआ होने से इतनी लंबी अवधि के बाद इसमें किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही समझा गया। अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/शपथ में कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण नही बतलाये गये है तथा मौका फर्द दिनांक 17.11.25 के अनुसार मौके पर अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के परिणाम स्वरूप अपील के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनिमय की धारा 05 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से मियाद बिन्दु पर ही खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25-11-25. को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावै

25/11/25.
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर